उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग सं03° 1/2014 / 25(120) / XXVII(8) / 2014 दिनांकः: देहरादूनः: २० मार्च, 2014

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27, वर्ष, 2005) की धारा 32 की उपधारा (12), सपिठत उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सहर्ष आदेश देते हैं कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन वर्ष 2010-2011 के लिये कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण दिनांक 31-05-2014 तक किया जा सकता है।

अपर मुख्य सचिव, वित्त।

सं0302/2014/25(120)/XXVII(8)/2014 तद्दिनांक। प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-1—आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें। 2-निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूडकी जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें। 3—भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।

4-सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।

5-एन०आई०सी०

6-गार्ड फाईल हेत्।

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान) अपर सचिव।

suance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, overnor is pleased to order the publication of the following English translation of otification No.302/2014/25(120)/XXVII(8)/2014 dated 20 March, 2014 for al information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
NO. 362/2014/25(120)/XXVII(8)/2014
Dehradun:: Dated: 20 March, 2013

Notification

In exercise of the powers conferred by sub-section (12) of section 32 of the trakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005), read with section 21, the Uttar Pradesh General Clauses Act. 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as disable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to order that tax essment or tax reassessment of cases under the Uttarakhand Value Added Tax Act, 25 for the year 2010-2011 can be made upto 31-05-2014.

Additional Chief Secretary.